(5) 9-355/09

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

11-03-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-355/2009 में आवेदक **श्री कौशल कुमार,** पिता-श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, सा0-नदपुरा, थाना-धनरूआ, जिला- पटना, वर्त्तमान पता-सेक्टर-6, एस0एस0सी0 फ्लैट नं0-52, पो0-बहादुरपुर, हाउसिंग कॉलोनी, थाना-अगमकुआँ, जिला-पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक अनुपस्थित। आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित किया गया है कि उनका अपना व्यवसाय है तथा पूर्व में इनके बिजनेश पार्टनर की हत्या की गयी है, जिस संदर्भ में अगमकुआँ थाना में प्राथमिकी दर्ज है। इस कारण से उन्हें डर/भय बना रहता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक-1888/गो0, दिनांक-27.12.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी द्वारा थानाध्यक्ष, अगमकुआँ के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, अगमकुआँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठेकेदारी का कार्य करते हैं, इस क्रम में उन्हें आना-जाना पड़ता है, जिस कारण खतरा बना रहता है। थानाध्यक्ष, अगमकुआँ द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक श्री कौशल कुमार को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री कौशल कुमार,** पिता-श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, सा0-नदपुरा, थाना-धनरूआ, जिला-पटना, वर्त्तमान पता-सेक्टर-6, एस0एस0सी0

(7) 9-355/07

फ़्लैट नं0–52, पो0–बहादुरपुर, हाउसिंग कॉलोनी, थाना–अगमकुआँ, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।